राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :–प.22(252) परि/प्रवर्तन/विविध/2015 जयपुर, दिनांक :–

मैसर्स माथुर एण्ड कम्पनी,
चाटर्ड एकाउण्टेंटस्,
112, नवजीवन कॉम्पलेक्स, स्टेशन रोड़,
जयपुर।
ई–मेलः mathur_co@rediffmail.com

विषय :– राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के नियमों का ड्राफ्ट तैयार करने का कार्यादेश।
प्रसंग :– आपका पत्र दिनांक 15.09.2015 एवं 21.10.2015 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा संदर्भित पत्रों के साथ प्रेषित प्रस्ताव को विभाग द्वारा निम्न शर्तों के साथ स्वीकार किया गया है :–

1. राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के नियमों का ड्राफ्ट तैयार करने के कार्य हेतु फर्म को कुल 4.25 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
2. देय सर्विस टैक्स एवं अन्य करों का भुगतान अतिरिक्त किया जाएगा।
3. 25 प्रतिशत की राशि प्रारम्भिक ड्राफ्ट नियम प्रस्तुत किए जाने पर देय होगी।
4. 50 प्रतिशत की राशि अन्तिम ड्राफ्ट नियम प्रस्तुत किए जाने पर देय होगी।
5. शेष राशि ड्राफ्ट नियम के नोटिफिकेशन जारी किए जाने के पश्चात् दी जाएगी।
6. जयपुर से बाहर यात्रा एवं ठहराव के खर्चे आदि का पुनर्भरण नहीं किया जाएगा।
7. ड्राफ्ट नियम को विधिक विभाग, राजस्थान की राय अनुसार संशोधित कर पुनः प्रस्तुत किया जाना तथा इस हेतु आवश्यक विधिक/अन्य सलाहकारी कार्य करने का दायित्व फर्म का होगा।
8. फर्म के प्रतिनिधि राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के ड्राफ्ट नियम बनाए जाने के संबंध में आयोजित की जाने वाली विभिन्न बैठकों में उपस्थित होंगे तथा सलाहकार का कार्य करेंगे।
9. कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् 60 दिवस में ड्राफ्ट नियम प्रस्तुत किये जाये।

उक्त कार्य हेतु राशि का भुगतान राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा। अतः भुगतान हेतु बिल सचिव, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के नाम प्रस्तुत किए जाएगें।

अतः राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के ड्राफ्ट नियम बनाने हेतु एक सप्ताह में निर्धारित प्रारुप में अनुबन्ध पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह परिवहन विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

—Sd—
(चुन्नीलाल कायल)
संयुक्त शासन सचिव (परिवहन)

क्रमांक :–प.22(252) परि/प्रवर्तन/विविध/2015/29761-64 जयपुर, दिनांक :– 03/11/15

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग।
2. सचिव, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण।
3. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

03/11/2015

संयुक्त शासन सचिव (परिवहन)